



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072024-255943  
CG-DL-E-31072024-255943

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2907]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2024/श्रावण 9, 1946

No. 2907]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2024/ SHRAVANA 9, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2024

का.आ. 3048.—(अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 109 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ.1(अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 29 दिसंबर, 2023 को प्रकाशित हुई थी और का.आ. 4073(अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 14 सितंबर, 2023 को प्रकाशित हुई थी, को सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या जिनको करने का लोप किया गया था, अधिक्रांत करते हुए माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर,-

(i) 1 सितंबर, 2023 से माल और सेवाकर अपील अधिकरण (जीएसटीएटी) की स्थापना करती है ;

(ii) माल और सेवाकर अपील अधिकरण (जीएसटीएटी) की प्रधान न्यायपीठ का नई दिल्ली में गठन करती है ; और

(iii) माल और सेवाकर अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठों का नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट संख्या में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्य के संबंध में उस सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवस्थान पर उस सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट बैठक या सर्किट न्यायपीठ के साथ गठन करती है, अर्थात्:-



क्रम सं.	राज्य का नाम	न्यायपीठों की संख्या	अवस्थान	बैठक/सर्किट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	1	विजयवाड़ा	विशाखापट्टनम
2.	बिहार	1	पटना	-
3.	छत्तीसगढ़	1	रायपुर	-
4.	दिल्ली	1	दिल्ली	-
5.	गुजरात		अहमदाबाद	-
6.	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव	2	सूरत	राजकोट
7.	हरियाणा	1	गुरुग्राम	हिसार
8.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला	-
9.	जम्मू और कश्मीर			
10.	लद्दाख	1	जम्मू	श्रीनगर
11.	झारखंड	1	रांची	-
12.	कर्नाटक	2	बेंगलुरु	-
13.	केरल			
14.	लक्षद्वीप	1	एर्णाकुलम	तिरुवनंतपुरम
15.	मध्य प्रदेश	1	भोपाल	-
16.	गोवा		मुंबई	पणजी (सर्किट)
			पुणे	ठाणे
17.	महाराष्ट्र	3	नागपुर	छत्रपति सांभाजी नगर
18.	ओडिसा	1	कटक	-
19.	पंजाब			
20.	चंडीगढ़	1	जालंधर	चंडीगढ़
21.	राजस्थान	2	जयपुर	-
			जोधपुर	-
22.	तमिलनाडु			
23.	पुडुचेरी	2	चैन्नई	पुडुचेरी (सर्किट)
			मदुरैई	कोयंबटूर
24.	तेलंगाना	1	हैदराबाद	-
25.	उत्तर प्रदेश			
		3	लखनऊ	-
			वाराणसी	प्रयागराज
			गाजियाबाद	आगरा
26.	उत्तराखंड	1	देहरादून	-
27.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह			
28.	सिक्किम	2	कोलकाता	-



29.	पश्चिम बंगाल			
30.	अरुणाचल प्रदेश			
31.	असम			
32.	मणिपुर			
33.	मेघालय	1	गुवाहाटी	आईजवाल (सर्किट) अगरतला (सर्किट) कोहिमा (सर्किट)
34.	मिजोरम			
35.	नागालैंड			
36.	त्रिपुरा			

**स्पष्टीकरण –**

- (i) 'सर्किट' के रूप में उपदर्शित अवस्थान ऐसी रीति में प्रचालन करेंगे, जो राष्ट्रपति संबंधित राज्य/अधिकारिता में पूर्तिकर्ताओं द्वारा फाइल की गई अपीलों की संख्या पर निर्भर करते हुए आदेश करें ;
- (ii) न्यायपीठ के साथ सहबद्ध अतिरिक्त बैठकों का प्रचालन एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य द्वारा किया जाएगा ।

[फा. सं.ए-50050/150/2008-सीईएसटीएटी-डीओआर]

बालसुब्रमणियन कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2024

**S.O. 3048(E).**—In exercise of the powers conferred by the sub-sections (1), (3) and (4) of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue's notification numbers S.O.1(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 29<sup>th</sup> December, 2023, and S.O.4073(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14<sup>th</sup> September, 2023 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Goods and Services Tax Council, hereby-

- (i) establishes the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT), with effect from the 1<sup>st</sup> day of September, 2023;
- (ii) constitutes the Principal Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) at New Delhi; and
- (iii) constitutes the number of State Benches of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal as specified in column (3) of the table below, with respect to the State specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, at the location specified in corresponding entry in column (4) thereof, with the Sitting or Circuit Bench specified in column (5) thereof, namely: —

Sl.No.	State Name	No. of Benches	Location	Sitting / Circuit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Andhra Pradesh	1	Vijayawada	Vishakhapatnam
2	Bihar	1	Patna	-
3	Chhattisgarh	1	Raipur	-
4	Delhi	1	Delhi	-
5	Gujarat	2	Ahmedabad	-



6	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu		Surat	Rajkot
7	Haryana	1	Gurugram	Hissar
8	Himachal Pradesh	1	Shimla	-
9	Jammu and Kashmir	1	Jammu	Srinagar
10	Ladakh			
11	Jharkhand	1	Ranchi	-
12	Karnataka	2	Bengaluru	-
13	Kerala	1	Ernakulum	Thiruvananthapuram
14	Lakshadweep			
15	Madhya Pradesh	1	Bhopal	-
16	Goa	3	Mumbai	Panaji (Circuit)
17	Maharashtra		Pune	Thane
			Nagpur	Chhatrapati Sambhajanagar
18	Odisha	1	Cuttack	-
19	Punjab	1	Jalandhar	Chandigarh
20	Chandigarh			
21	Rajasthan	2	Jaipur	-
			Jodhpur	-
22	Tamil Nadu	2	Chennai	Puducherry (Circuit)
23	Puducherry		Madurai	Coimbatore
24	Telangana	1	Hyderabad	-
25	Uttar Pradesh	3	Lucknow	-
			Varanasi	Prayagraj
			Ghaziabad	Agra
26	Uttarakhand	1	Dehradun	-
27	Andaman and Nicobar Islands	2	Kolkata	-
28	Sikkim			
29	West Bengal			
30	Arunachal Pradesh	1	Guwahati	Aizawl (Circuit) Agartala (Circuit) Kohima (Circuit)
31	Assam			
32	Manipur			
33	Meghalaya			
34	Mizoram			
35	Nagaland			
36	Tripura			

**Explanations —**

- (i) Locations shown as 'Circuit' shall be operational in such manner as the President may order, depending upon the number of appeals filed by suppliers in the respective States/jurisdiction;
- (ii) the additional sitting associated with the Bench shall be operated by one Judicial Member and one Technical Member.

[F. No. A-50050/150/2018-CESTAT-DoR]

BALASUBRAMANIAN KRISHNAMURTHY, Jt. Secy.